अतारांकित प्रश्न क्रमांक-2666

[10/7/2024]

प्रश्न सं. [क्र. 2666]

परिशिष्ट–"अ"

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक/F-1191012/2023/10-2, भोपाल, दिनांक 22.02.2024

प्रति,

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
जल संसाधन विभाग

विषय: प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन वन विभाग की अध्यक्षता मे कलेक्टर कार्यालय रेवा सभा कक्ष मे दिनांक 26.02.2021 को विस्थापित ग्रामो के संबंध में आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण (पारसपानी माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन स्कीम)

विषयांतर्गत पारसपानी माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन स्कीम से संबंधित प्राक्कलन रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

2/ प्राक्कलन के संबंध मे उल्लेख है कि प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन वन विभाग की अध्यक्षता मे कलेक्टर कार्यालय रेवा सभा कक्ष में दिनांक 26.02.2021 को विस्थापित ग्रामो के संबंध मे आयोजित बैठक के कार्यवाही विवरण में बिन्दु क्रमांक-9 के अनुसार तवा जलाशय का पानी नहर द्वारा सोहागपुर एवं बाबई तहसील मे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के 19 विस्थापित वनग्रामों एवं 12 राजस्व ग्रामो के बसाहट स्थल तक पहुंचाने हेतु अधीक्षण यंत्री, तवा परियोजना मण्डल होशंगाबाद द्वारा होज इरिगेशन योजना के तहत सिंचाई हेतु नहर की व्यवस्था के लिये राशि रूपये 55.18 करोड़ का प्राक्कलन आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। उक्त कार्य हेतु वन विभाग में कोई बजट मद नहीं है। इस संबंध में दो विधानसभा प्रश्न भी हुए हैं।

अतः अनुरोध है कि प्राक्कलन अनुसार राशि स्वीकृत करने का कष्ट करें।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

(हस्ताक्षर) 21.02
(अनुराग कुमार)
पदेन उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

क्रमांक/F-1191012/2023/10-2, भोपाल, दिनांक 22.02.2024

प्रतिलिपि: प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) की ओर उनके पत्र क्रमांक/बजट 9(2)/2021-22/1858, दिनांक 03.03.2023 के अनुक्रम मे सूचनार्थ अग्रेषित।

(हस्ताक्षर)
पदेन उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग